रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-टी.एन.-अ.-26062020-220174 CG-TN-E-26062020-220174

> असाधारण **EXTRAORDINARY**

> > भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311 No. 2311

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASADHA 2, 1942

आरोविल प्रतिष्ठान

अधिस्चना

आरोविल, 4 अप्रैल, 2020

फा. सं. ए एफ/ईजी/56/2020.—शासी बोर्ड, आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम आरोविल प्रतिष्ठान (निवासियों के रजिस्टर में व्यक्तियों के प्रवेश और समापन) विनियम, 2019 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,
 - (क) 'अधिनियम' से आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) अभिप्रेत है:
 - (ख) "प्रवेश समिति" आरोविल में व्यक्तियों के प्रवेश संबंधी निवासियों सभा के कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवास समिति द्वारा गठित समिति से अभिप्रेत है;

- (ग) "अपील समिति" समापन समिति के निष्कर्षों के विरूद्ध अपीलों पर विचार करने के लिए निवास सभा द्वारा गठित समिति से अभिप्रेत है;
- (घ) "आवेदक" वह व्यक्ति जिसने रजिस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, से अभिप्रेत है;
- (ड.) "चार्टर" मदर द्वारा 28 फरवरी, 1968 को उघोषित आरोविल चार्टर से अभिप्रेत है;
- (च) 'रजिस्टर' अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन अनुरक्षित आरोविल निवासियों के रजिस्टर से अभिप्रेत है।
- (छ) "आवासी" वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है, से अभिप्रेत है;
- (ज) "समापन समिति" आवासियों के विरूद्ध रिपोर्टों की देखरेख के लिए और आवास रजिस्टर में व्यक्तियों के समापन संबंधित आवास सभा के कार्य प्रचालन हेतु आवास सभा द्वारा गठित समिति से अभिप्रेत है।
- (झ) 'सचिव' केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा
 - (1) के अधीन नियुक्त किया गया आरोविल प्रतिष्ठान के सचिव से अभिप्रेत है;
 - (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और आरोविल प्रतिष्ठान नियम-1977 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम या नियम में है।

3. प्रवेश समिति का गठन-

- (1) आवास समिति एक प्रवेश समिति का गठन करेगी, जिसमें सदस्यों की निवासियों सभा या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा सीधी नियक्ति की जाएगी।
- (2) प्रवेश समिति में नौ सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम छह सदस्य न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए आरोविल के आवासी रहे हों।
- (3) आवास समिति या इसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित अन्य समिति सुनिश्चित करेगी कि:-
 - (i) 'प्रवेश समिति' में विभिन्न आयु और राष्ट्रिकताएं हों और महिला-पुरूष संतुलन हो; और
 - (ii) सदस्य विनियम 4 में उपाबंध किए गए आदेश के अनुसार सुपुर्द कार्य के लिए अर्हता रखते हों और उनमें अपेक्षित संवाद और संगठनात्मक कौशल हो।
- (4) प्रारंभ में नियुक्त प्रवेश समिति के सदस्य, पूरे तीन वर्षों की कार्यकाल अवधि तक पद पर बने रहेंगे। तदपश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर आवास सभा के निर्णय के अनुसार तीन सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उनके स्थान पर चक्रानुक्रम से तीन नए सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। कम से कम एक बार दो अवधियों के व्यपगत के पश्चात सेवा-निवृत्त होने वाले सदस्य पिछले कार्यकाल अवधि से 02 कार्यकाल की अवधि के अंतराल पर पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (5) आवासी सभा को, किसी भी समय, प्रवेश सिमति के किसी सदस्य को हटाने और उसको सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा, यदि वह आरोविल समुदाय के व्यापक हित में ठीक समझती है।
- (6) यदि त्यागपत्र, कार्यकाल समाप्ति, या अन्यथा किसी और कारण से प्रवेश समिति में रिक्ति उत्पन्न होती है तो उसे आवास समिति या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा भरा जाएगा।

4. प्रवेश समिति का आदेश-

(1) प्रवेश समिति के लिए निम्नलिखित आदेश होगा:

- (i) आरोविल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का स्वागत, रजिस्टर और उसकी सहायता करना;
- (ii) इन विनियमों के अनुसार आवेदक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना;
- (iii) जहां लागू हो सचिव से किसी आवेदक अथवा उसके वंशजों अथवा संतानों के लिए उपयुक्त वीजा की संस्तुति करने का अनुरोध करना;
- (iv) सचिव को यह सिफारिश करना कि आवासियों के नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।

5. समापन समिति का गठन:-

- (1) आवासी सभा में एक समापन समिति होगी जिसके सदस्य, आवासी सभा द्वारा प्रत्यक्ष अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा नियक्त किए जाएंगे।
- (2) समापन समिति में नौ सदस्य होगें जिनमें से कम से कम छह सदस्य पांच वर्ष से अधिक समयाविध के लिए आरोविल के आवासी रहे हों।
- (3) आवासी सभा अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा गठित ऐसी अन्य समिति यह सुनिश्चित करेगी कि:-
 - (i) समापन समिति में विभिन्न आयु के राष्ट्रिकों हों और महिला-पुरूष संतुलन हों; और
 - (ii) सदस्य, विनियम 6 में दिए गए आदेश के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए अईक होते हैं।
- (4) समापन सिमिति में आरंभ में नियुक्त सदस्य पूरे तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे। तदुपरांत प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर आवासी सभी के निर्णय के अनुसार तीन सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और चक्रानुक्रम आधार पर उनके स्थान पर तीन नए सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। बाहर निकाले जाने वाले सदस्य पिछले कार्यकाल के बाद दो कार्यकाल व्यपगत के बाद पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (5) आवासी सभा को किसी भी सदस्य को हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य रखने का अधिकार होगा यदि विचार है कि यह आरोविल समुदाय के अधिक हित में है।
- (6) त्यागपत्र, कार्यकाल समाप्त होने अथवा किसी अन्य अन्यथा होने वाली रिक्ति को आवासी सभा अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा भरा जाएगा।

6. समापन समिति का आदेश:

- (1) समापन समिति के लिए निम्नलिखित अधिदेश होगा, अर्थात्:
- (i) कार्यकरण समिति अथवा कम से कम सात आवासियों से रिपोर्ट अथवा अनुरोध प्राप्त होने पर जांच संचालन करना कि आवासी का व्यवहार आरोविल के आदर्शों अथवा भारत विधियों से असंगत है अथवा कि आवासी आरोविल के जीवन और विकास के लिए सुसंगत किसी भी सामुदायिक अथवा सार्थक कार्यकलाप में लगा हुआ नहीं है; और
- (ii) ऐसे मामलों में यह जांच करना कि आवासी का नाम आवासी रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए, ऐसे मामलों में जहां आवासी लगातार तीन वर्षों की अविध तक आरोविल में आवासी नहीं हो।

7. समापन समिति की शक्तियां:

(1)समापन समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

- (i) आवासी के समापन की संस्तुति की रिपोर्ट को सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अस्वीकृत करना;
- (ii) आवासी को सार्वजनिक चेतावनी अथवा निंदा जारी करना;
- (iii) यह निर्णय लेना कि आवासी द्वारा की गई क्षति अथवा प्रतिकर उसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए जैसा कि समापन समिति द्वारा निर्धारण किया गया है;
- (iv) निर्देश जारी करना, यदि अपेक्षित हो, कि आवासी की दशा और अपेक्षित उपचार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने के लिए भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अर्हक यथास्थिति मानसिक रोग विशेषज्ञ/ मनोवैज्ञानिक द्वारा जांच की गई है;

- (v) यह निर्णय लेना कि आवासी को आरोविल हमेशा के लिए अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए छोड़ना होगा और उस अवधि का अवधारण करना जिसके भीतर उस आवासी को आरोविल को छोड़ना होगा;
- (vi) कार्यकरण समिति को यथास्थिति आवासी अथवा आवासियों का नाम, रजिस्टर से हटाया जाए।

8. समापन समिति की कार्रवाई और प्रक्रिया:-

- (1) समापन समिति उसे प्राप्त सभी रिपोर्टों और अनुरोधों का तत्काल और यथाशीघ्र निपटान करेगी और प्रत्येक मामले में कार्रवाई समापन समिति को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
- (2) समापन समिति सुनिश्चित करेगी कि आवासियों को अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व किसी घोषणा को निष्कर्ष करने या लिखित स्पष्टीकरण के लिए और रिपोर्ट या अनुरोध करने वाले समूह और व्यक्तियों को सम्यक अवसर दिया गया है।
- (3) समापन समिति किसी आवासी जो आरोविल में निवास नहीं कर रहा है, लगातार तीन वर्ष की अवधि से आवासी रजिस्टर से नाम हटाने के मामले की जांच करते हुए आवासी को न्यायोचित्य या लिखित स्पष्टीकरण करने का सम्यक अवसर दिया जाएगा।
- (4) समापन समिति की कार्रवाई सभी के संदर्भ के लिए लिखित में दस्तावेजीकरण और अभिलेख का अनुरक्षण किया जाएगा।

9. आवासियों के रजिस्टर में प्रविष्टि -

- (1) कोई व्यक्ति रजिस्टर में उसके नाम दर्ज करने के अर्हक होगा यदि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित शर्त पूर्ण करता हो अर्थात्:
 - (i) यदि व्यक्ति ने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
 - (ii) यदि ऐसे व्यक्ति को आरोविल के चार्टर में विश्वास है और समर्पण और वचनबद्धता है और इन विनियमों के परिशिष्ट के प्रारूप-1 में कथन पर हस्ताक्षर कर घोषणा करता है; और
 - (iii) यदि ऐसा व्यक्ति आवश्यक प्रक्रिया के पश्चात् आवासी के रूप में प्रवेश समिति द्वारा स्वीकार किया गया है।

10. प्राधिकारी जिसको प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है:-

- (1) रजिस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सचिव को आरोविल प्रतिष्ठान विनियम, 1997, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:
 - (i) देश द्वारा जारी राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र/पासपोर्ट जहां आवेदक आवेदन करते समय निवास कर रहा हो; बशर्ते कि भारतीय के मामले में जन्म प्रमाणपत्र या कोई ऐसा अन्य सबूत जो मान्य हो;
 - (ii) इन विनियमों से संलग्न के प्ररूप में हस्ताक्षरित कथन; और
 - (iii) प्रवेश समिति की सिफारिश कि आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज होगा।

11. आवासियों के रजिस्टर से नाम हटाना-

- (1) आवासी का नाम रजिस्टर से हटाया जाएगा बशर्ते कि निम्नलिखित आधार पर समापन समिति का अनुरोध हो अर्थातु:-
 - (i) यदि यह पाया जाता है कि नाम को किसी कपट, दुर्व्यपदेशन या तात्विक सूचना दबा कर दर्ज किया गया है;
 - (ii) यदि व्यक्ति को भारत के न्यायालय द्वारा दांडिक अपराध में सिद्धदोष पाया गया हो;

- (iii) समापन समिति के निष्कर्ष के आधार पर कार्यकरण समिति की सिफारिश के आधार पर;
- (2) सचिव, आवासी के ऐसे रद्दीकरण की सूचना को रजिस्टर में दर्ज पते पर भेजेगा।

12. अपील-

- (1) समापन समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील समापन समिति के निर्णय से सीधे प्रभावित व्यक्ति द्वारा कार्यकरण समिति को फाइल की जा सकेगी।
- (2) अपीलार्थी द्वारा अपील को सम्यक:हस्ताक्षरित लिखित आवेदन में किया जाएगा।
- 13. अपीलों की परिसीमा में अवधि किसी अपील पर समापन समिति के निर्णय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कार्यकरण समिति द्वारा प्राप्त किए ऐसी अपील तक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14. अपील पर विचार -

- (1) कार्यकरण समिति विहित अवधि में प्राप्त सभी अपीलों को नीचे निर्दिष्ट रीति से गठित अपील समिति को भेजेगी:
 - i. इन विनियमों के अधीन अपील पर विचार करने के लिए और कोई अन्य मामले जिसे आवासी सभा द्वारा निर्णय किया जाता है पर विचार के लिए अपील समिति जिसमें आवासी सभा द्वारा नामांकित तीन आवासी और शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी बोर्ड के दो सदस्य होंगे;
 - ii. अपील समिति अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर समापन समिति के निष्कर्षों की पुनर्विलोकन करेगी। पुनर्विलोकन के दौरान अपीलार्थी को कोई वैयक्तिक सुनवाई की अनुमित नहीं दी जाएगी;
 - iii. इस प्रकार गठित अपील समिति की अवधि शासी बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगी;
 - iv. सचिव, व्यक्तिगत रूप से या परिपत्र द्वारा अपील समिति की बैठक बुलाएंगे।
 - (2) अपील समिति की कार्यवाही लंबित करते हुए, समापन समिति के निर्णय को स्थगन किया जाएगा।
 - (3) अपील समिति अपील मिलने के तीस दिन के अंदर अपील पर निर्णय लेगी।
 - (4) अपील समिति आरोविल के बाहर या इसकी बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए इलैक्ट्रोनिक प्रणाली द्वारा उल्लिखित अपील पर निर्णय ले सकता है, बशर्ते कि अपील समिति के कम से कम चार सदस्य ऐसा निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में भाग लें।
 - (5) समापन समिति के निर्णय की पृष्टि करने या वापस लेने के लिए अपील समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 15. अपील में आदेशों का कार्यान्वयन : सचिव, अपील समिति के निर्णय को कार्यान्वित करेंगे।
- 16. पुन: प्रवेश के लिए कोई आवेदन नहीं: रजिस्टर से हटाए गए किसी भी नाम के पुन:प्रवेश के किसी भी आवेदन पर तीन वर्ष की अविध के लिए विचार नहीं किया जाएगा, इसमें मामलों के सिवाय, जहां समापन सिमिति ने यह निर्णय लिया हो कि आवासी ने कम अविध के लिए आरोविल को छोड़ा हो, जिस मामले में कम अविध की समाप्ति के बाद पुन:प्रवेश के लिए आवेदन किया गया हो।
- 17. व्यावृति खंड: उन सभी व्यक्तियों, जिनके नाम इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को रजिस्टर में दर्ज किए गए थे, उनके नाम रजिस्टर में सम्यक रूप से दर्ज समझे जाएंगे और ये प्रारंभिक प्रवेश के मामलों के सिवाए अन्य मामलों इन विनियमों के उपाबंधों के अध्यधीन होगा।

प्ररूप-।

कथन

[विनियम 9(ii)	और 10	(ii) को देखें।
---------------	-------	----------------

मैं,	***************************************	factor of the state of	आयु	लगभग		वर्ष,
पुत्र/पत्नी/पुत्री	cu di kermatikini	oduciu gandinia,	,	276		
राष्ट्रीयता	का वर्तमान स्थायी आव	ासी, पुष्टि करता हूं और यह व	कथन कर	ता हूं कि मैं	ौंने आरोवि	ल का
चार्टर पढ़ लिया है और	समझ लिया है और मैं आरोविल	के निम्नलिखित सिद्धांतों से पृ	र्णित: सह	मत हूं :-		

- 1. आरोविल, श्री अरविंदो और उनकी मां के आदर्श और विचार पर आधारित प्रयोग है। संपूर्ण योग विकासवादी भविष्य की ओर बढ़ता हुआ कदम है। आरोविल के बारे में मां का संदेश जैसे 'द चार्टर ऑफ आरोविल', 'द ड्रीम', और 'टू बी ए टू ओरेविलियन', में इन आदर्शों की अनुभूति की ओर पथ प्रदर्शक कदम है। संपूर्ण योग के भाग के रूप में, व्यक्तिगत विकास के लिए साधन के रूप में दिव्य अनुभूति के साथ जुड़ी सभी प्रकार की अनुभूति की अनुमति होती है। किसी विशेष क्षेत्र या सांप्रदायिक विश्वास को समग्र रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। किसी धर्म या सांप्रदायिक विश्वास के प्रचार की अनुमति नहीं है।
- 2. आरोविल वह स्थान है जहां मानव एकता प्रकट होती है। इसमें किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक या जातीय भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। आवासी भारतीय या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिक्रय भागीदारी से परहेज करेंगे।
- 3. आरोविल आकांक्षी वैश्विक सांस्कृतिक शहर है और जो भारत की निधियों के अध्यधीन है। आवासी भारत की विधियों का पालन करेंगे। आरोविल तिमलनाडु में स्थित है, जिनकी विशिष्ट विरासत है। आवासी सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करेंगे और वे स्थानीय लोग, प्रथाओं, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था का किसी भी रूप से अपमान नहीं करेंगे।
- 4. इसके चार्टर के अनुसार, आरोविल के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, इसने आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 को अधिनियमित किया है और आरोविल प्रतिष्ठान, एक स्वायत्त कानूनी निकाय की स्थापना की है।
- 5. आरोविल में किसी भी संपत्ति का स्वामित्व संबंधित समग्र मूल्य नहीं है। सभी स्थावर आस्तियों का स्वामित्व आरोविल प्रतिष्ठान के पास है जो उन्हें समग्र रूप से मानवता के लिए ट्रस्ट (विश्वास) में रखता है। कोई भी आवासी आरोविल महा-योजना के शहरी क्षेत्र में कोई स्थावर आस्ति नहीं खरीदेगा।
- 6. आरोविल सभी सदस्यों के कार्य के प्रकार पर ध्यान दिए बिना उनकी समग्र समृद्धि में योगदान कर रहा है। सभी उदारता और साझेदारी पर आधारित अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोविल के समग्र जीवन के सदस्य के रूप में सभी कार्य और प्रयास "सिटी द अर्थ नीड" के लिए साझा अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित है। आवासियों को आरोविल के बाहर व्यक्तिगत हितों, संस्थाओं या कुटुंब के सदस्यों को लाभ पंहुचाने वाले कार्यकलापों में भागीदारी से परहेज करना चाहिए।

इस विवरण पर हस्ताक्षर करके, मैं आरोविल के मूल्यों में असीम शिक्षा और उन्हें आरोविल के उद्देश्यों एवं आदर्शों की पूरी आस्था और समर्पण व प्रतिबद्धता में प्रकट करने और आरोविल के चार्टर, जो आरोविल के उपर्युक्त स्थापना सिद्धांत हैं, का सम्मान करने एवं उनका सख्त पालन करने के लिए सहमत हूं।

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए मैंने ऐसी बात नहीं की है, जिससे आरोविल के आवासी के रूप में प्रवेश के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं है और यह पुष्ट करता हूं कि इस बारे में मेरी घोषणा सही है।

तारीख:

आवेदन का नाम

स्थान : आरोविल

पी. आर. श्रीनिवासमूर्ति,अवर सचिव/प्रभारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./87/2020-21]

व्यक्ति का पदनाम जो प्रतिष्ठान से इस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्राधिकृत है

AUROVILLE FOUNDATION NOTIFICATION

Auroville, the 4th April, 2020

F. No. AF/EG/56/2020.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 32 of the Auroville Foundation Act, 1988(54 of 1988), the Governing Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.-

- 1) These regulations may be called the Auroville Foundation (Admission and termination of Persons in the register of residents) Regulations, 2020.
- 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

- 1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "Act" means the Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988);
 - b) "Admission Committee" means the committee constituted by the Residents' Assembly for carrying out the functions of the Residents' Assembly relating to admission of persons to Auroville;
 - c) "Appellate Committee" means the committee constituted by the Residents' Assembly for considering appeals against the findings of the Termination Committee;
 - d) "applicant" means a person who has applied for admission in the register of residents;
 - e) "Charter" means the Charter of Auroville as proclaimed by the Mother on the 28th day of February 1968:
 - f) "register" means Register of Residents of Auroville maintained under sub- section (1) of section 18 of the Act;
 - g) "Resident" means a person whose name has been entered in the Register;
 - h) "Termination Committee" means the committee constituted by the Residents' Assembly for dealing with reports against residents and for carrying out the functions of the Residents' Assembly related to the termination of persons in the register of residents;
 - i) "Secretary" means the Secretary of the Auroville Foundation appointed by the Central Government under sub-section
 - 1. of section 15 of the Act;
 - 2. All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, and the

Auroville Foundation Rules 1997, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and rules.

3. Constitution of the Admission Committee.-

- 1) The Residents' Assembly shall constitute an Admission Committee whose members shall be appointed directly by the Residents' Assembly or by a committee constituted by it for this purpose.
- 2) The Admission Committee shall consist of nine members, at least six of whom have been resident of Auroville for a minimum period of five years.
- 3) The Residents' Assembly or such other committee constituted by it for this purpose shall ensure that:
 - a) the 'Admission Committee' is composed of residents of different ages and nationalities and that there is a gender balance; and
 - b) the members are qualified for the assigned work as per mandate provided in regulation 4 and that they have the required communication and organisational skills.
- 4) The members of the Admission Committee initially appointed, shall hold office for a full term of three years. Thereafter on expiration of every year, three members shall retire and three new members shall be appointed in their place on rotation, as per the decision of the Residents' Assembly. Outgoing members shall be eligible for re-appointment after a lapse of two terms from the last one.
- 5) The Residents' Assembly, at any time, will have the right to remove any of the members of the Admission Committee and replace them with other persons as members if it considers that it is in the larger interest of the community of Auroville.
- 6) Any vacancy arising in the Admission Committee either by way of resignation, expiry of term of office, or otherwise, shall be filled up by the Residents' Assembly or by the committee constituted by it for the purpose.

4. Mandate of the Admission Committee.-

- 1) The Admission Committee will have the following mandate:
 - a) to welcome, register and assist any applicant seeking admission to Auroville;
 - b) to accept or reject an applicant in accordance with these regulations;
 - c) where applicable, to request the Secretary to recommend an appropriate visa for an applicant and his/her descendants or wards;
 - d) to recommend to the Secretary that the name of an applicant may be entered in the register of residents.

5. Constitution of the Termination Committee.-

- 1) The Residents' Assembly shall constitute a Termination Committee whose members shall be appointed directly by the Residents' Assembly or by a committee constituted by it for the purpose.
- 2) The Termination Committee will consist of nine members, at least six of whom have been resident in Auroville for more than five years.
- 3) The Residents' Assembly or such other committee constituted by it for the purpose shall ensure that:
 - a) the Termination Committee is composed of residents of different ages and nationalities and that there is a gender balance; and
 - b) the members are qualified for the work to be done as per mandate given in regulation 6.
- 4) The members of the Termination Committee initially appointed, shall hold office for a full term of three years. Thereafter on expiration of every year, three members shall retire and three new members shall be appointed in their place on rotation, as per the decision of the Residents' Assembly. Outgoing members shall be eligible for re-appointment after a lapse of two terms from the last one.
- 5) The Residents' Assembly shall have the right to remove any of the members and replace them with other persons as members if it considers that it is in the larger interests of the community of Auroville.
- 6) Any vacancy arising either by way of resignation, expiry of term of office, or otherwise, shall be filled up by the Residents' Assembly or by the committee constituted by it for the purpose.

6. Mandate of the Termination Committee. -

1) The Termination Committee will have the following mandate, namely:

- a) to conduct an enquiry upon receiving a report or request from the Working Committee or from at least sixty residents, that a resident's behaviour is incompatible with Auroville's ideals or the laws of India or that a resident is not engaged in any community work or meaningful activity relevant to the life and growth of Auroville; and
- b) to examine whether the name of a resident should be removed from the register of residents, in cases where the resident has not been residing in Auroville for a consecutive period of three years.

7. Powers of the Termination Committee. -

- 1) The Termination Committee shall have the powers to:
 - a) reject a report recommending termination of a resident, following due process;
 - b) issue a public warning or censure to a resident;
 - c) decide that a resident should compensate for loss or damage caused by him/her as assessed by the Termination Committee;
 - d) issue, direction, if required, that a resident is examined by a qualified psychiatrist / psychologist, as the case may be, registered in India for obtaining an opinion of the resident's condition and the treatment required;
 - e) decide that a resident has to leave Auroville permanently or for a certain period of time, and determine the period within which that resident has to leave Auroville;
 - f) recommend to the Working Committee that the name of a resident or residents, as the case may be, to be removed from the register.

8. Procedure and Process of the Termination Committee.-

- 1) The Termination Committee shall dispose of all reports and requests received by it as expeditiously as possible and in each case, the proceedings shall be concluded within a period of six months from the date of receipt of the request by the Termination Committee.
- 2) The Termination Committee shall ensure that due opportunity is given to the resident to submit any declaration or written explanation as also to the working groups and persons making the report or request, before giving its finding.
- 3) The Termination Committee, while examining the cases for removal of the name of a resident who has not been residing in Auroville for a consecutive period of three years from the register of residents, shall give due opportunity to the resident to offer justification or explanation in writing.
- 4) The Proceedings of the Termination Committee shall be documented in writing and maintained on record for reference at all times.

9. Admission into the register of residents.-

- 1) A person shall be qualified to have his or her name entered in the register if such person fulfills the following conditions, namely:
 - a) if the person has completed the age of eighteen years;
 - b) if such person has faith in and devotion and commitment to the Charter of Auroville and the aims and ideals as enunciated by the Mother and undertakes by way of signing the statement in Form-I appended to these regulations; and
 - c) if such person has been accepted by the Admission Committee as a resident, after due process.

10. Authority to whom applications for admission may be made. -

- An application for Admission in the register shall be made as per the Auroville Foundation Rules, 1997, as amended from time to time, to the Secretary enclosing the following documents, namely:
 - a) Certificate of Nationality / Passport issued by the country where the applicant is domiciled at the time of making the application; Provided that in the case of Indians, the birth certificate or any such other proof shall suffice;
 - b) signed statement in Form-I appended to these regulations; and
 - c) Recommendation of the Admission Committee that the name of the applicant be entered in the register.

11. Removal of Names from the register of residents. -

- 1) The name of a resident shall be removed from the register provided at the request of the Termination Committee on the following grounds, namely:
 - a) if it is found that the name has been entered by fraud, misrepresentation or by suppression of material information;
 - b) if the person has been found convicted for guilty of a criminal offence by a Court in India.;
 - c) upon the recommendation of the Working Committee, based on the findings of the Termination Committee;
- The Secretary shall send communication of such removal to the resident to the address as entered in the register.

12. Appeal.-

- 1) An appeal against a decision of the Termination Committee may be filed to the Working Committee by the person directly affected by the decision of the Termination Committee.
- 2) The appeal shall be submitted in writing duly signed by the appellant.
- 13. **Period of limitation of appeals.** No appeal shall be entertained unless such appeal is received by the Working Committee within a period of thirty days from the date of the decision of the Termination Committee.

14. Consideration of appeal.-

- (1) The Working Committee shall refer all appeals received within the prescribed period to the Appellate Committee constituted in the manner specified below:
 - a) The Appellate Committee, to consider appeals under these regulations and any other matter as may be decided by the Residents' assembly, shall consist of three residents nominated by the Residents' Assembly and two members of the Governing Board nominated by the Chairman of the Governing Board;
 - b) The Appellate Committee shall review the findings of the Termination Committee based on the documents available on record. During the review, no personal hearing shall be granted to the appellant;
 - The tenure of the Appellate Committee so constituted shall be co-terminus with the term of the Governing Board;
 - d) Secretary shall convene the meeting with the Appellate Committee in person or by circulation.
- 2) Pending the proceedings of the Appellate Committee, the decision of the Termination Committee shall be kept in abeyance.
- 3) The Appellate Committee shall decide an appeal within thirty days from the day an appeal is referred to it.
- 4) Appellate Committee may decide appeals referred to it by circulation via electronic mode to members stationed outside Auroville or in a meeting, provided at least four members of the Appellate Committee participate in such decision making process.
- 5) The decision of the Appellate Committee to confirm or revoke the decision of the Termination Committee shall be final and binding.
- 15. Implementation of orders in appeal. The Secretary shall give effect to the decision of the Appellate Committee.
- 16. No application for re-admission. No application for re-admission of a name removed from the register shall be entertained for a period of three years, except in cases, where the Termination Committee has decided that a resident has to leave Auroville for a shorter period, in which case the application for readmission may be made after the expiry of that shorter period.
- 17. Saving clause. All persons whose names have been entered in the register on the date of coming into force of these Regulations shall be deemed to have been duly entered in the register and shall be subject to the provisions of these regulations in all other matters except in the matters of initial admission.

FORM-I

The Statement

[See regulation 9 (ii) and 10(ii)]

Ι,	, aged about years, S/W/D/o	
	, national of	for the present domiciled at
Auroville and fully subscri	, do hereby affirm and state that I have be to the following principles upon which Auroville is	

- 1. Auroville is an experiment, based on the ideals and vision of Sri Aurobindo and The Mother. Integral Yoga is a stepping stone towards an evolutionary future. Messages of The Mother about Auroville, such as "The Charter of Auroville", "The Dream", and "To Be A True Aurovillian", contain guiding steps towards the realization of these ideals. As part of Integral Yoga, all forms of connecting with the Divine are allowed as means for personal growth. No particular religion or sectarian beliefs are collectively encouraged. The propagation of any religious or sectarian beliefs is not permissible.
- 2. Auroville is a place for manifesting Human Unity. Any discrimination, social, political, Geographical, economic or racial, is not acceptable. Residents shall abstain from active involvement in Indian or international politics.
- 3. Auroville is aspiring to be a universal cultural township and is subject to the laws of India. Residents undertake to abide by the laws of India. Auroville is located in Tamil Nadu, which has a unique heritage. Residents shall respect the cultural values and avoid any form of disrespect towards local people, customs, traditions and social order.
- 4. To ensure the development of Auroville in accordance with its Charter, it has enacted the Auroville Foundation Act, 1988 and created the Auroville Foundation, an autonomous statutory body.
- 5. No ownership of property is a respected collective value in Auroville. All immovable assets are owned by the Auroville Foundation which holds them in trust for humanity as a whole. Residents undertake not to own any immovable assets in the City area of the Auroville Master Plan.
- 6. Auroville is contributing towards building a collective prosperity for all the members irrespective of the type of work one is engaged in. Everyone endeavors to build an economy based on generosity and sharing. All works and efforts as a member of Auroville's collective life are directed towards building a shared economy for the "city the earth needs". Residents shall refrain from participating in activities solely benefiting personal interests, institutions or family members outside Auroville.

By signing this Statement, I agree to unending education in the values of Auroville and to manifest them in my life in Auroville with full faith and devotion and commitment to the aims and ideals of Auroville and undertake to respect and strictly abide by the Charter of Auroville which forms the aforementioned founding principles of Auroville.

To the best of my knowledge and belief, I have not done anything so as to incur any disqualification for being admitted as a resident of Auroville and affirm that my declaration herein in this respect is true.

Date:

Place: Auroville

P. R. SRINIVASAMURTY, Under Secy./Secy.-in-Charge [ADVT.-III/4/Exty./87/2020-21]

Authorised to issue this notification from the Foundation